कार्यालय महाप्रबंधक हरियाण रोडवेज, जींद

टेली फोन : 01681-245430

ईमेल : gmhrjind1@gmail.com

अप्रेंटिशिप लगाने के लिए ऑनलाईन आवेदन 21.01.2022 से 28.01.2022 तक का विज्ञापन

अप्रेंटिशिप एक्ट, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत महा प्रबंधक हरियाणा रोजवेज, जींद निम्नलिखित संकायों/ट्रेडों में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेने के लिए अप्रेंटिशिप लगाने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है :-

Meet Academy

Sr. No.	Apprentice Trade	Total Vacancy	Qualification	Monthly Stipend
1	Steno Typist Hindi	3	ITI Pass in concerned/ relevant trade.	Rs. 7700/-
2	COPA	3		Rs. 7700/-
3	Electrician	9		Rs. 8050/-
4	MMV	12		Rs. 8050/-
5	Mechanic Diesel	14		Rs. 7700/-
6	Welder (G & E)	3		Rs. 7700/-
7	Carpenter	5		Rs. 7700/-
8	Turner	1		Rs. 8050/-
9	Painter General	1		Rs. 8050/-
	Total	51		

नोट :-

(ए) किसी आरक्षित श्रेणी के लिए कोई विशिष्ट रिक्ति आरक्षण की संबंधित श्रेणी में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ष की भर्ती में दाखिल नहीं किया जा सकता ऐसी रिक्तियों के लिए विशेष भर्ती अगले वर्ष बैक लॉग अनुसार प्रषित नहीं की जाएगी। ,

(बी) अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग उम्मीदवार के लिए वन टाईम अपरचोनेटी है। अप्रेंटिशिप एक्ट 1961 के अनुसार इसी/विभिन्न स्थापनाओं में पहले अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग पुरी कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए पात्र नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया :-

1. उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल अर्थात **www.apprenticeshipindia.org** पर आवेदन करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज/प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
2. उपरोक्त वर्णित पोर्टल पर आवेदन करने के बाद उम्मीदवार को कार्यालय पता : महा प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद 126102 में स्पीड पोस्ट के माध्यम से या **gmhrjind1@gmail.com** पर एक पीडीएफ ईमेल करके सभी संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र (दसवीं की मार्क शीट, आईटीआई पास का मार्क सर्टीफिकेट, व मार्क शीट, जाति प्रमाण पत्र व हरियाणा डोमिसाईल (यदि लागू), आइडी प्रूफ आदि) और अप्रेंटिशिप प्रोफाईल भेजना अनिवार्य है।
3. ऑनलाईन आवेदनों को 21.01.2022 व 28.01.2022 के बीच स्वीकार किया जाएगा एवं अपने दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 01.02.2022 है।
4. दोनों ऑनलाईन (वेबपोर्टल पर प्रोफाईल पंजीकरण) और ऑफ लाईन (डाक के माध्यम से) आवेदन की मूल प्रति आगामी जांच के लिए एक आवेदक की उम्मीदवारी पर विचार करने हेतु अनिवार्य है। दोनों (ऑनलाईन व ऑफलाईन) आवेदन प्राप्त न होने पर आवेदक की उम्मीवारी स्वतः अयोग हो जाएगी।
5. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण आवेदन रद्द करने के योग्य हैं।

चयन प्रक्रिया :-

1. जीएम एचआर जींद के चयन बोर्ड को आवेदन से गुजरना होगा और उम्मीदवार का चयन करना होगा (उपरोक्त प्रदर्शित रिक्ति अनुसार)।
2. उम्मीदवार का चयन आईटीआई अंकों की मैरिट के आधार पर किया जाएगा एवं प्राथमिकता नजदीकी क्षेत्र वाले को दी जाएगी।

   प्रशिक्षण शुरु करने की तिथि :- संपर्क अनुसार केवल ईमेल के माध्यम से चयनित उम्मीदवारा को सूचति की जाएगी।

सामान्य निर्देश :-

1. उम्मीदवार की प्राफाई को आधार से सत्यापित होना चाहिए।
2. उम्मीदवार का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि पोर्टल व दसवीं एवं आईटीआई की मार्कशीट पर समान होनी चाहिए।
3. पोर्टल पर उम्मीदवार की प्रोफाईल में दसवीं और आईटीआई ट्रेड का विवरण अनिवार्य है।
4. उम्मीदवार की भौतिक नियुक्ति प्राचार्य, गर्व. आईटीआई जींद से संविदा स्वीकार होने के बाद दी जाएगी।
5. अप्रेंटिशिप का प्रस्ताव हरियाणा रोडवेज में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
6. प्रशिक्षण पुरा होने के बाद हरियाणा रोडवेज में अप्रेंटिशिप ट्रेनी की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और उम्मीदवार इसके लिए दावा नहीं कर सकता है।
7. चयनित उम्मीदवार को जीएम एचआर जींद के कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
8. अप्रेंटिशी लेने वाले की आयु ऑनलाईन आवेदन के सामपन्न तिथि को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
9. अप्रेंटिशिप के लिए उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल अर्थात **www.apprenticeshipindia.org** पर अपने नाम का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और केवल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
10. उम्मीदवार को समय-समय पर अपनी ईमेल की जांच करने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
11. आरक्षण समय-समय पर संशोधित अनुसार अप्रेंटिशिप एक्ट 1961 और अप्रेंटिशिप रुल 1992 के प्रावधान के अनुसार लागू किया जाएगा। एससी/बीसीए/बीसीबी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार को एनएपीएस पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे जनरल में विचारा जाएगा। एससी/बीसीए/बीसीबी में पंजीकृत उम्मीदवारों को भी नियुक्ति के समय इस प्रभाव से मूल प्रमाण पत्र लेकर आना होगा।
12. उम्मीदवार द्वारा तथ्यों दवाने पर चयन प्रक्रिया/प्रशिक्षण के किसी चरण में अयोग्यता को निर्देशित करेगा।
13. अप्रेंटिशिप लेने वाले को ट्रेनिंग के समय इस स्थापना द्वारा कोई क्वार्टर/ होस्टल आवास/परिवहन प्रदान नहीं किया जाएगा।
14. चयनित उम्मीदवार को अप्रेंटिशिप एक्ट, 1961 के प्रावधान के अनुसार वजीफे का अधिकार है।
15. महा प्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, जींद अप्रेंटिशिप के लिए रिक्तियों की घटाने/बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
16. अप्रेंटिशिप लेने वाले का प्रशिक्षण 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवार की निम्नलिखित अनाधिकृत अनुपस्थिति की सूचना के बिना समाप्त कर दिया जाएगा।
17. टीए/डीए नियुक्ति के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि चयन होता है।
18. चयनित उम्मीदवार को अप्रेंटिशिप एक्ट, 1961 के प्रवधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के लिए संविदा पुरी करनी होगी।
19. किसी उम्मीदवार के द्वारा और की ओर से चयन प्रक्रिया से प्रेरित इरादे से किसी प्रार्थना या व्यक्तिगत अनुसारण करने पर उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
20. कोई विवाद होने पर जीएम एचआर जींद प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।
21. उम्मीदवार को कोविड-19 से संबंधित नियम एवं निर्देश का अनुपालन करना होगा।

महा प्रबंधक ,

हरियाणा रोडवेज, जींद

PRDH-1119/11/122/2022/6993/67/6